

2018/00394

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम नई अरवड की जमाबंदी संवत 2032-35 की खाता संख्या 72 में प्रार्थी का नाम / की जाति कुम्हार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम / की जाति प्रजापत दर्ज है। अतः उक्त खाते में प्रार्थी का नाम / की जाति कुम्हार के बजाय प्रजापत दर्ज किया जाना उचित होगा।

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

योगेश कुमार जाखड़
पटवारी
पटवार मण्डल अरवड
तह. फुलिया कलाँ (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट पटवारी जाच उपर संगोपार श्री कृष्ण योगेश डो

तहसीलदार फुलिया कलाँ (भीलवाड़ा)

प्र सं 320/18

राजस्व लोक अदालत
"न्याय आपके द्वार-2018"
आदेश

कम्प - अरवड, दिनांक - 05/06/2018

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार फुलिया कलाँ के ग्राम नई अरवड की जमाबंदी संवत 2032-35 की खाता संख्या 72 में दर्ज जाति कुम्हार की बजाय प्रजापत दर्ज किया जाना का आदेश दिया जाता है। पालनाथ तहसीलदार फुलिया कलाँ को भेजा जावे।



उपखण्ड अधिकारी
फुलिया कलाँ (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी

फुलियाँ कलाँ